शब्द–ब्रह्म
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
ISSN 2320 – 0871
17 जनवरी 2014

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रति पालकों एवं शिक्षकों की जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन

डॉ.लक्ष्मण शिंदे, एसोसोसिएट प्रोफ़ेसर
महेन्द्र पाटीदार, वरिष्ठ शोध अध्येता

शोध संक्षेप

किसी भी राष्ट्र का विकास तभी होता है, जब वहां के नागरिकों का भी विकास अनिवार्य रूप से होता हो। जब भी किसी व्यक्ति के विकास की बात आती है तो सबसे पहले हमारी नजर उस देश की शिक्षा व्यवस्था पर जाती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास शिक्षा के माध्यम से ही होता है। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास तभी जाना जाता है, जब वह आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बन जाए। इसके लिए सबसे पहली आवश्यकता है किसी भी देश को अपने सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। विश्व के कुछ देश जैसे -चीन, चीली, नीदरलैंड, जर्मनी, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, मारिशस, फ्रांस, कनाडा, नार्वे, स्पेन, आस्ट्रेलिया एवं जापान आदि देशों में तो विद्यालयीन शिक्षा ग्रहण करना अनिवार्य है। अप्रैल 2010 से भारत में भी शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू कर दिया गया है एवं इसके अन्तर्गत राज्य एवं अभिभावकों को यह उत्तरदायित्व दिया गया है कि वे अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा में अनिवार्य रूप से दाखिल करवाएं एवं प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करवाएं। प्रस्तुत शोध पत्र में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रति पालकों एवं शिक्षकों की जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है।

प्रस्तावना

अभिभावकों की शिक्षा के प्रति जागरूकता एवं शिक्षकों की जिम्मेदारी दोनों ही शिक्षा के लिए आवश्यक है। माता-पिता जब जागरूक होगें तभी बालकों को शिक्षा प्रदान करने में योगदान दे सकेंगे। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए अन्य मौलिक अधिकारों की तरह शिक्षा को भी एक मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 45 में यह व्यवस्था की गई है कि सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए, लेकिन इस अनुच्छेद को सम्पूर्ण तरीके से नहीं अपनाया गया। संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य शिक्षा के अधिकार को एक मूल अधिकार के रूप में शामिल करना चाहते थे, परन्तु तत्कालीन परिस्थितियाँ इसके अनुकूल नहीं थीं। अतः उन्होंने इसे राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत स्थान दिया। इस महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व को राज्य की इच्छा पर छोड़ दिया, जो न्यायालयों में प्रवर्तनीय नहीं थे। हमारी संसद ने इस अधिकार की आवश्यकता को समझते हुए वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संविधान संशोधन द्वारा नया अनुच्छेद 21 (क) जोडकर इसे मूल अधिकार के रूप में शामिल कर प्रवर्तनीय बना दिया। शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा देने के साथ ही इसे मूल कर्तव्यों में शामिल कर अभिभावकों का कर्तव्य बना दिया

औचित्य

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 01 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ, जिसमें 06 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इस अधिनियम को यह यात्रा पूरी करने में 63 वर्ष का समय लग गया। जो बच्चे अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति के कारण स्कूल नहीं जा पाते थे एवं कुछ पालकों की अभिवृति ऐसी थी कि वे शिक्षा के महत्व को जानते ही नहीं थे। जो बच्चे स्कूल जाते थे वे अपनी स्कूली शिक्षा पूर्ण करने के पहले ही विद्यालय छोड देते थे। यहाँ ऐसी परिस्थिति में अध्यापकों एवं पालकों को शिक्षा के प्रति जागरूक रहते हुए अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या को रोकना था, लेकिन इन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण तरीके से नहीं निभाया।

शिक्षा का अधिकार के प्रति लोगों की जागरूकता कितनी है और इस अधिनियम के लागू होने से बच्चों के स्कूल जाने की संख्या में बढोत्तरी होने की कितनी संभावना है, यह उनकी जागरूकता का पता लगाकर ही जान सकते हैं। इस विषय पर विचार करने की आवश्यकता इसलिए भी हुई कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के बारे में लोग जागरूक है या नहीं। जो लोग जागरूक हैं तो उन्हें इस अधिकार का क्या फायदा हो रहा है। अतः शोधार्थी के द्वारा यह आवश्यकता महसूस की गई कि अध्यापन में लगे हुए शिक्षक एवं स्वयं बालकों के माता-पिता अपनी संतान के भविष्य के प्रति कितने जागरूक हैं। साथ ही साथ शिक्षकों की जिम्मेदारी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह समाज को मार्गदर्शन प्रदान करने में अग्रणी भूमिका का निर्वहन करता है। वह जागरूक अभिकर्ता के रूप में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का संवाहक है। समाज में शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार बिना षिक्षक की सहायता से संभव नहीं है। अतः शिक्षक एवं पालक दोनों, जो कि प्रत्यक्ष रूप से बालक से जुड़े हुए हैं, कि स्थिति जानना आवश्यक है। उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए परिस्थितिजन्य वातावरण का निर्माण आवश्यक है। इस तथ्य को देखने के लिए शोधार्थी के द्वारा इन्दौर जिले के संदर्भ में शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई एक्ट) के प्रति पालकों एवं शिक्षकों की जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन वर्तमान शोध कार्य के लिए चयनित किया।

उद्देश्य : प्रस्तुत शोध का उद्देश्य था -

शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रति पालकों एवं शिक्षकों की जागरूकता के माध्य फलांकों का तुलनात्मक अध्ययन करना।

परिकल्पना : प्रस्तुत शोध की परिकल्पना थी -

पालकों एवं शिक्षकों की शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रति जागरूकता के माध्य फलांकों में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

न्यादर्श :

प्रस्तुत शोध कार्य के लिए जनसंख्या मध्यप्रदेश के इन्दौर जिले की महू तहसील के दो शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के 20 शिक्षकों एवं 20 पालकों को लिया गया था। इस जनसंख्या में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम जागरूकता के अध्ययन हेतु पालकों एवं शिक्षकों को उद्देश्यपरक न्यादर्श विधि द्वारा चयनित किया गया। शोध के लिए सामान्य वर्ग, अन्य

पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पालकों एवं शिक्षकों को ही चयनित किया गया था। ये पालक एवं शिक्षक ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्र के थे।

उपकरण

शोध से संबंधित चर के मापन के लिए निम्न उपकरण का उपयोग किया गया था -

शिक्षा का अधिकार अधिनियम जागरूकता प्रश्नावली

प्रस्तुत शोध कार्य में पालकों एवं शिक्षकों की आरटीई के प्रति जागरूकता के अध्ययन हेतु शोधार्थी द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम जागरूकता प्रश्नावली का उपयोग किया गया था, जिसमें शिक्षा के अधिकार अधिनियम से संबंधित 25 प्रश्न थे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जागरूकता प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए समय का कोई बंधन नहीं था। इसमें आरटीई जागरूकता प्रश्नावली के विभिन्न पहलुओं से संबंधित पदों का निर्माण किया गया था।

प्रदत संकलन

सबसे पहले शोध के उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम जागरूकता प्रश्नावली को विकसित किया गया, इसके पश्चात शासकीय प्राथमिक विद्यालय धार नाका, महू, इन्दौर, (म.प्र.) एवं शासकीय कन्या विद्यालय, महूगांव, महू (म.प्र.) के प्राचार्यों से शोध कार्य हेतु अनुमति प्राप्त की गई। तत्पश्चात शिक्षकों को शोध का उद्देश्य स्पष्ट किया गया। न्यादर्श हेतु चयनित शिक्षकों को सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में शिक्षा का अधिकार अधिनियम जागरूकता प्रश्नावली प्रशासित की गयी। अन्त में सभी शिक्षकों से शिक्षा का अधिकार अधिनियम जागरूकता प्रश्नावली प्राप्त कर ली गई। साथ ही साथ इन्हीं विद्यालयों में पढ़ने वाले पालकों की सूची भी विद्यालय से प्राप्त कर ली गई एवं न्यादर्श में चयनित पालकों पर भी शिक्षा का अधिकार अधिनियम जागरूकता प्रश्नावली प्रशासित की गई। इस प्रकार प्रदत संकलन कर लिया गया।

प्रदत्त विश्लेषण

प्रस्तुत शोध कार्य हेतु प्रदत्तों का विश्लेषण स्वतंत्र टी परीक्षण द्वारा किया गया।

परिणाम तथा विवेचना

प्रस्तुत शोध के उद्देश्य के अनुसार प्रदत्त विश्लेषण, प्राप्त परिणाम एवं उनकी विवेचना निम्न है -

प्रस्तुत शोध का उद्देश्य था - पालकों एवं शिक्षकों की शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रति जागरूकता के माध्य फलांकों का तुलनात्मक अध्ययन करना। यहाँ स्वतंत्र चर पालक एवं शिक्षक हैं। इस उद्देश्य से संबंधित प्रदत्तों का विश्लेषण स्वतंत्र टी परीक्षण द्वारा किया गया। प्रदत्त विश्लेषण से प्राप्त परिणामों को तालिका में प्रदर्शित किया गया है-

तालिका : शिक्षा का अधिकार अधिनियम जागरूकता के न्यादर्श, माध्य, मानक विचलन एवं टी मूल्य

चर	न्यादर्श	माध्य	मानक विचलन	टी मूल्य
पालक	20	14.60	3.677	
शिक्षक	20	15.25	1.681	.831

विवेचना

तालिका से ज्ञात होता है कि पालक एवं शिक्षक के लिए टी का मान .831 है, जो कि 0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक नहीं है, जबकि df 2/38 है। अर्थात् पालकों एवं शिक्षकों के माध्य फलांकों में सार्थक अंतर नहीं है। अतः इस स्थिति में शून्य परिकल्पना "पालकों एवं शिक्षकों की शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रति जागरूकता के माध्य फलाकों में कोई सार्थक अंतर नहीं है, निरस्त नहीं की जाती है। अतः निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आरटीई जागरूकता, पालकों एवं शिक्षकों से स्वतंत्र पायी गयी। इसके संभावित कारण यह हो सकते हैं कि जनसंचार माध्यमों एवं तकनीक के युग में पालक एवं शिक्षक अपने आप को अद्यतन बनाए रखते हैं तथा वर्तमान युग में शिक्षा के प्रति शिक्षकों के साथ-साथ अभिभावक भी सक्रिय रहते हैं। इस कारण शिक्षकों एवं पालकों की शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता पर सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया।

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध का निष्कर्ष है -

"पालकों एवं शिक्षकों की शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रति जागरूकता के माध्य फलांकों में कोई सार्थक अंतर नहीं है अर्थात् शिक्षा के अधिकार के प्रति पालक एवं शिक्षक बराबर जागरूक हैं।

शैक्षिक निहितार्थ

1 बच्चे की शिक्षा के प्रति शिक्षकों के साथ-साथ अभिभावक भी सक्रिय रहते हैं।

2 व्यक्ति के स्वयं के विकास में एवं राष्ट्र के उत्थान में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, इसलिए आज का समाज शिक्षा के प्रति जागरूक रहता है।

3 शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है इसलिए इसे सभी लोगों को देना चाहिए।

4 बेहतर जीवन यापन करने के लिए हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।

5 सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए हमें संसाधनों का उचित प्रयोग करना चाहिए।

6 भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के कारण ज्ञान के मंदिर सभी के लिए खुले है। अतः हमें इनका सही प्रयोग करना चाहिए।

सन्दर्भ

1 पाण्डेय, जे., भारत का संविधान, साहित्य प्रकाशन, आगरा, 2007

2 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009

3 Buch, M.B. (Ed.): Fourth Survey of Research in Education, (1983-88), NCERT, New Delhi. 1991

4 Buch, M.B. (Ed.) Fifth Survey of Research in Education, NCERT, New Delhi, 1992.

5 Gaur, A. & Gaur, S.: Statistical Methods for Practice and Research, Response Books, New Delhi. 2006

6 Hayman, J. L.: Research in Education, Charles E. Merrill Publishing Company, Ohio, 1968

7 Kerlinger, F.N.: Foundations of Behavioral research, Surjeet Publications, New Delhi, 1978